न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 16 / 2020

1–कटोरी देवी पत्नी शांतिस्वरुप (मृतका)
1 / 1–सुरेश चंद पुत्र स्व0 शांतिस्वरुप
1 / 2–जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 शांतिस्वरुप
1 / 3–गौरव कुमार पुत्र स्व0 राकेश कुममार पुत्र स्व. शांतिस्वरुप
1 / 4–कोमल कुमार पुत्र स्व0 रमनलाल पुत्र स्व. शांतिस्वरुप
1 / 5–चंचल कुमार पुत्र स्व. रमनलाल पुत्र शांतिस्वरुप
2– कमलेश पत्नी राकेश अग्रवाल
3–विपिन अग्रवाल पुत्र सुरेश
4– जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. शांतिस्वरुप
5–चंचल पुत्र रमनलाल
समस्त जातियान वैश्य निवासीगण 28 कृष्णा नगर भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियाजना इकाई) नेशनल हाइवे 11 दौसा राज0
2– भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ओरियेन्टल कम्पनी किलोमीटर 42525 से 63000 आगरा–भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1959. खिलाफ अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी।

उपस्थितः–
1–श्री रमनलाल गित्तल, अभिभाषक प्रार्थी0,
2–श्री राकेश धनखड़, अभिभाषक अप्रार्थी न.1

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निर्णय दिनांक 11.12.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सांविक खसरा नम्बर 321 रकबा 3बीघा 6 बिस्व जिला हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 5.34 है0 बना है को जिला कलेक्टर भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 23.12.1994 को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश दे दिया, इस आदेश के विरुद्ध आर.ए.ए.भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई और वो अपील निर्णय दिनांक 20.4.96 से स्वीकार कर जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 23.12.94 निरस्त कर दिया और सिवायचक दर्ज करने का आदेश भी निरस्त कर दिया। परन्तु राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.4.96 की पालना में सिवायचक का इन्द्राज काटकर प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज नहीं की है। अवाप्त की जा रही भूमि खसरा नम्बर 524 क्षेत्रफल 4262 वर्ग मीटर के प्रार्थीगण खातेदार हैं, अवाप्त की जा रही भूमि की कीमत 10,00,000/– रुपये प्रतिबीघा है और उसी अनुसार कीमत एवं अन्य देय समस्त कानूनी लाभ एवं मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 18.6.2019 को प्रार्थी0 की याचिका को खारिज किये जाने के निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.6.2019 के खिलाफ प्रार्थीगण ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर के यहाँ मुत्त. दीवानी प्रकरण संख्या 08/2019 उनवानी कटोरी देवी वगे0 बनाम परियोजना निदेशक वगे0 पेश किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2020 में प्रार्थीगण/आपत्तिकर्ता कटोरी देवी मृतका जरिये विधिक वारिसान सुरेशचन्द वगेरह की ओर से धारा 34 आरबीट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत पेश की गई आपत्तियां स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.6.2019 आपस्त किया जाकर प्रकरण पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि वह याचीगण को सबूत एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से 4 माह की अवधि के अंदर नियमानुसार अवॉर्ड पारित करेंगे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर के निर्णय दिनांक 08–01–2020 के साथ पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को सबूत वगे. पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना तारीख 20.8.2015 द्वारा 105(3) की शक्ति " Right to Fair Compensation Act 2013 का प्रयोग कर Right to Fair Compensation ActLand Acquisition, Rehabilitition and Reseulement (Romoval of Difficulties) Order 2015 के शैड्यूल 4 मे वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा राशि मुताबिक फस्ट सैकेण्ड थर्ड श्ड्यूल के अन्तर्गत समस्त देय लाभ भी देय होगें, तदनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 2017 बॉम्बे पेज नम्बर 120 के पैरा नम्बर 12,13 व 14 में वर्णित कार्य सिद्धान्त के अनुसार मुआवजा राशि व अन्य समस्त लाभ देय हैं इसलिये याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी (5)नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन करना लाजिमी है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि चूँकि यह कानून दौराने याचिका प्रभाव में आया है और लम्बित प्रकरणों में ऑर्डर 2015 को लागू माना है अथवा Right to Fair Compensation Act 2013 की धारा 26, से 29,69,72, व 80 के अनुसार अवाप्त भूमि की बाजारु दर + 100 प्रतिशत सांत्वना राशि + 01 वर्ष के लिये 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा + 9 प्रतिशत एक वर्ष की ब्याज + 15 प्रतिशत अवाप्ति के अवार्ड के एक वर्ष बाद से कुल मुआवजा राशि पर ताअदायगी तक 15 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के नाम विवादित आराजी खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 है0 पर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुकी है। प्रार्थी को उक्तानुसार मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. ने अपनी लिखित बहस में अकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी(5) के अन्तर्गत प्रार्थीगण भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद को तय नहीं करा सकते हैं तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो इन्द्राज दुरस्ती बाबत जो प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना बताया है उसके निर्णय के पश्चात ही प्रार्थीगण उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध मे प्रश्न का विनिश्चय होगा। अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवायचक भूमि है जिस कारण से प्रार्थीगण उक्त भूमि का कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने अर्जन की जाने वाली भूमि के बाबत धारा 3ए के तहत अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 10.7.2006 को जारी की गयी व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर में दिनांक 15.9.2006 व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.9.2006 को किया गया है में इस तथ्य को उल्लेख धारा 3सी के तहत किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 (सी) की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी (एस.डी.ओ) के सक्षम अपनी आपत्ति दिनांक 13.8.2007 को पेश की गई है, प्रार्थी की आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लियां है। नियत अवधि में धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां पेश की गई हैं उनका निस्तारण धारा 3 (सी) के तहत किया जाकर सक्षम प्राधिकारी धारा 3 (डी) के तहत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने की रिपोर्ट सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई है, जिसका राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 26.6.2007 को हुआ है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. का तर्क है कि प्रार्थी0 ने श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1956 की धारा 3जी (5)के तहत पेश किया है, उक्त धारा 3 जी(5) के प्रावधानों के अनुसार माननीय न्यायालय भूस्वामी को दिलवाये गये मुआवजे के सम्बन्ध में ही अपना अवार्ड पारित कर उक्त मुआवजे को घटा व बढा सकता है परन्तु धारा 3 जी(3) के अन्तर्गत प्रार्थीगण के भूमि के स्वामित्व विवाद को तय नहीं करा सकते हैं, सक्षम न्यायालय (एस.डी.ओ.) ने प्रार्थीगण के प्रार्थना

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

पत्र आपत्ति पर कोई अवार्ड पारित नहीं किया है, और नाहीं कोई आदेश पारित किया है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं रहता है, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी0 ने याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट खिलाफ अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (एस.डी.एम. भरतपुर) पेश की गई है, जिसमें आवाप्त शुदा विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 321 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा जिससे बने हाल खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 है0 का खातेदार घोषित किये जाने एवं खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 है0 नेशनल हाई वे चौड़ीकरण हेतु अवाप्त भूमि क्षेत्रफल 4262 वर्ग मीटर का मुआवजा 10,00,000/–रुपये प्रतिवीघा बाजारु कीमत एवं इसके अलावा समस्त कानूनी देय लाभ क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी0 ने यह विचाराधीन याचिका धारा 3जी(5) नेशनल हाई वे एक्ट के तहत पेश की गई है।

धारा 3 जी (5) नेशनल हाई वे एक्ट में दिये गये प्रावधानों पर गौर किया गया।

नेशनल हाई वे एक्ट 1956 धारा 3जी का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :–

3G. Determination of amount payable as compensation.— (1) Where any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount which shall be determined by an order of the competent authority.

(2) Where the right of user or any right in the nature of an easement on, any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount to the owner and any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such acquisition an amount calculated at ten per cent, of the amount determined under sub-section (1), for that land.

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

(3) Before proceeding to determine the amount under sub-section (1) or sub-section (2), the competent authority shall give a public notice published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language inviting claims from all persons interested in the land to be acquired.

(4) Such notice shall state the particulars of the land and shall require all persons interested in such land to appear in person or by an agent or by a legal practitioner referred to in sub-section (2) of section 3C, before the competent authority, at a time and place and to state the nature of their respective interest in such land.

(5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government—

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि एवं पत्रावली तहत के अवलोकन से जाहिर है कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण हेतु आवाप्त की जाने वाली भूमियों की अवाप्ती की अधिसूचना नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 ए के तहत दिनांक 10.7.2006 को जारी की गई है।

नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3सी में दिये गये प्रावधानानुसार धारा 3 ए की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्ति 21 दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने धारा 3 ए की अधिसूचना जारी दिनांक 10.7.2006 के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर के समक्ष निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 13.8.2007 जरिये प्रार्थना पत्र पेश की गई है। प्रार्थी0 द्वारा सक्षम प्राधिकारी (एस.डी.ओ.) के पास प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 13.8.2007 मे प्रार्थना की गई है :—

> "......अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र क्लेम स्वीकार कर प्रार्थीगण को राजस्थान सरकार के स्थान पर क्लेमेन्ट को जमीन का खातेदार घोषित कर 10,00,000/— प्रतिबीघा बाजार कीमत एवं इसके अलावा अन्य समस्त कानूनी देय लाभ क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे........।"

उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवाप्त शुदा विवादित आराजी के अपने स्वत्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किये जाकर वरन सक्षम अधिकारी से आवाप्त की जाने वाली भूमि गत खसरा नम्बर 321 रकबा

...........7

जिला कलक्टर
भरतपुर

3 बीघा 5 विस्वा हाल खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 है. बाके ग्रांम बमनपुरा पर खातेदारी दिये जाने एवं उक्त रकवा में से आवाप्त की गई भूमि 4252 वर्ग मीटर का मुआवजा 10,00,000/– प्रतिबीघा बाजार दर से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। जब कि प्रावधानानुसार प्रार्थीगण/हितधारी व्यक्ति को अपनी भूमि का मालिकाना हक स्वयं पेश करते हुये सक्षम अधिकारी के पास आपत्ति वगै0 का आवेदन करना होता है परन्तु यहॉ ऐसा नहीं है। यानि आवाप्ति प्रक्रिया प्रकाशन दिनांक 10.7.2006 को प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 का खातेदार नहीं था, उक्त आराजी सिवायचक राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। तदनुसार ही सक्षक अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी कराई गई है।

तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.10.2007 का अवलोकन किया गया जिसमे उल्लेख है '–

> "...परिवादी मय अभिभाषक उप.। अभिभाषक को सुना गया। परिवादी की ओर से सबूत पेश करने के लिये समय चाहा गया। पत्रावली दि. 3–11–07 को प्रस्तुत करें..... ।"

तहत न्यायालय द्वारा इसके आगे कोई कार्यवाही किया जाना स्पष्ट नहीं है। तथा ना कोई प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र तारीखी 13.8.2007 पर आदेश/आज्ञा पारित की गई है।

प्रार्थीगण ने हमारे समक्ष धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट पेश किया है उसका विवेचन ऊपर किया गया।

धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट में स्पष्ट है :–

> " ...If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or subh-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Centarl Government...."

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

धारा 3 जी (5) में स्पष्ट है कि उक्त धारा के सब सेक्शन 1 व 2 में अगर सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आज्ञा से अगर कोई व्यक्ति सहमत नहीं है तो वे धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट में दिये गये प्रावधान के अनुसार अपनी आपत्ति Arbitrator (जिला कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु यहाँ सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर ने प्रार्थी0 की आपत्ति पर कोई आज्ञा पारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 3 जी (5) न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थीयान का यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे एक्ट धारा 3 जी (5), प्रार्थीयान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर